



संवधान दविस: 26 नवंबर

प्रलिमिस के लयि:

संवधान दविस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय कानून दविस

मेन्स के लयि:

संवधान दविस का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक भाग के रूप में 'संवधान दविस' की पूर्व संध्या पर कानून और न्याय मंत्रालय ने 'भारतीय संवधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम' शुरू किया।

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित करने के लिये संवधानिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- यह नागरिकों को गौरवशाली संवधानिक यात्रा से परिचित कराने और जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गोपनीयता के मुद्दों सहित देश के सर्वोच्च कानून को समझने में भी मदद करेगा।

प्रमुख बदि

परचिय:

- यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
- इसे राष्ट्रीय कानून दविस के रूप में भी जाना जाता है।
- इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संवधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संवधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
- 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संवधान दविस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के नरिणय को अधिसूचित किया।

संवधान का नरिमाण:

- वर्ष 1934 में एम.एन. राँय ने पहली बार संवधान सभा के वचिर का प्रस्ताव रखा।
- वर्ष 1946 में कैबिनेट मशिन योजना के तहत संवधान सभा के गठन के लिये चुनाव हुए।
- भारत के संवधान का नरिमाण संवधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संवधान सभा ने संवधान के नरिमाण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिये कुल 13 समितियों का गठन किया।
- इनमें 8 प्रमुख समितियाँ थीं और शेष छोटी थीं। प्रमुख समितियों और उनके प्रमुखों की सूची नीचे दी गई है:
 - मसौदा समिति- बी.आर. अंबेडकर
 - संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
 - केंद्रीय संवधान समिति- जवाहरलाल नेहरू
 - प्रांतीय संवधान समिति- वल्लभभाई पटेल
 - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहुषिकृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति- वल्लभभाई पटेल।
 - प्रक्रिया समिति के नयिम- राजेंद्र प्रसाद
 - राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिये समिति)- जवाहरलाल नेहरू
 - संचालन समिति- राजेंद्र प्रसाद

भारत के संवधान के बारे में तथ्य:

- दुनिया का सबसे वसितृत संवधान।
- एकात्मक वशिषताओं के साथ संघीय प्रणाली।
- सरकार का संसदीय स्वरूप।
- संवधान संरक्षित मूलाधिकारों के साथ संघीय प्रणाली। संवधान संरक्षित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बहारी नारायण रायज़ादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियाँ लिखी थीं।

- मूल रूप से भारत का संविधान अंगरेज़ी और हंदी में लिखा गया था।
- भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
- भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है।

Indian Constitution Borrowed Features

1.	British Constitution	Parliamentary form of Government, Rule of Law, Law making procedure, Single Citizenship; Institution of Speaker, doctrine of pleasure tenure of civil servants.
2.	American Constitution	Judicial System, Fundamental Rights
3.	Canadian Constitution	Federal System with a strong central authority; Residual powers, Centre State Relation.
4.	Irish Constitution	Directive Principles, Election of the President of India
5.	Australian Constitution	Concurrent list; Freedom of Trade & Service within country
6.	Weimar Constitution	Emergency Provision
7.	Soviet Constitution	Five Year Plans; Fundamental duties
8.	Govt of India Act 1935	Office of the governor, powers of the federal jury.
9.	South African	Amendment of Constitution.

अन्य संबंधित स्मरणीय जानकारी:

- [भारतीय संविधान की परसतावना](#)
- [भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण लेख \(भाग I और II\)](#)
- [मौलिक अधिकार](#)
- [राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत](#)
- [संसद](#)
- [प्रमुख संवैधानिक संशोधन](#)
- [आपातकालीन प्रावधान](#)

स्रोत: पीआईबी